हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–55/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 32) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 32

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप–खण्ड (i) में ''सुधार न्यास'' शब्दों के पश्चात् आए ''या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

उद्देदश्यों और कारणों का कथन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ सम्पत्तियाँ किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अवैद्य अधिभोग से मुक्त रहे, इन सम्पत्तियों को 2007 के अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के दायरे में लाया गया था किन्तु इस प्रयास से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, अपितु इससे वक्फ बोर्ड प्रबन्धन और ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का अधिभोग करने वालों के मध्य मुकदमेबाजी में बढ़ौतरी हुई और परिणामतः वक्फ बोर्ड तथा इसके किराएदारों के मध्य सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बिगड़ते रहे। इसके अतिरिक्त दो भिन्न–भिन्न अधिनियमों, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के अधीन इन सम्पत्तियों का प्रशासित होना विभिन्न स्तरों पर, कार्रवाइयों के

दोहरेपन की ओर ले गया है। इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 भी पारित कर दिया है जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों को मकान मालिकों के साथ–साथ किराएदारों के लिए भी और अधिक व्यवहार्य और प्रतिग्राह्य बनाया गया है जो वक्फ सम्पत्तियों को भी समान रूप से लागू होगा। उपरोक्त के दृष्टिगत यह समीचीन समझा गया है कि वक्फ सम्पत्तियों को उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर करने हेतु धारा 2 के खण्ड (ङ) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 32 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery), Act, 1971 (*Act No.* 22 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, in section 2, in clause (e), in sub-clause (i), the words and sign "or a Wakf property, registered with the Himachal Pradesh Wakf Board" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure that the Wakf properties are kept free from any encroachment or illegal occupation, these properties were brought within the ambit of the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 vide Act No.18 of 2007, but this attempt did not brought desirable results and promoted further litigations between the Wakf Board Management and the occupants of such wakf properties and resultantly, the harmonious relationship between the Wakf Board and it's tenants kept deteriorating. Moreover, administration of these properties under two different Acts *i.e.* the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 and the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, has led to the duality of actions at various levels. Over and above, the State Legislative Assembly has also passed the Himachal Pradesh Urban Rent Control (Amendment) Bill, 2009, making the provisions of the said Act more viable and acceptable to the Landlord and the tenant as well, which would be equally applicable to the Wakf properties. In the light of the above, it has been felt expedient that the Wakf properties are brought out of the ambit of the said Act by suitably amending clause (e) of section 2. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

The ....., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—